तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0–14/2017–18
आवेदक– महेश पहाड़िया
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– बाँसपहाड़
आदेश

29.8.18

आवेदक महेश पहाड़िया पिता स्व0 चंदा पहाड़िया, सा0– बाँसपहाड़, थाना–रांगा, जिला– साहेबगंज के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मौजा बाँसपहाड़ के 16 आने रैयतो को विधिवत् नोटिश निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गई, एवं अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

नोटिश तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। मौजा– बाँसपहाड. के 16 आने रैयतों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

आवेदक को सुना। उनहोने बताया कि मौजा बाँसपहाड के पूर्व प्रधान स्व0 चंदा पहाडिया थे जो मेरे पिता थे। उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् उक्त मौजा के कार्यवाहक प्रधान के रूप में मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ एवं मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। उनके द्वारा मौजा– बाँसपहाड के रिक्त प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी पतना ने पत्रांक 174/रा0 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्राप्त। जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक पूर्व प्रधान स्व0 चंदा पहाडिया का पुत्र है। पूर्व प्रधान स्व0 चंदा पहाडिया के मरणोपरान्त उनका पुत्र महेश पहाड़िया उक्त मौजा का कार्यवाहक प्रधान के रूप में स्वयं कार्य कर रहा हैं तथा इनके द्वारा मौजा का लगान जमा किया जाता है। आवेदक वर्तमान में बाँसपहाड में रहता है। अंचल अधिकारी, पतना के द्वारा आवेदक महेश पहाड़िया पिता स्व0 चंदा पहाडिया, सा0– बाँसपहाड़, थाना–रांगा जिला साहेबगज को मौजा– बाँसपहाड के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गयी है।

अतएव अंचल अधिकारी, पतना की अनुशंसा एवं 16 आने रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक महेश पहाड़िया पिता स्व0 चंदा पहाडिया, सा0– बाँसपहाड़, थाना–रांगा जिला साहेबगज को संथाल परगना काश्त कारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् मौजा– बाँसपहाड के रिक्त प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। आवेदक को आदेश दिया जाता है कि वे कबुलियत दाखिल करें तत्पश्चात् पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

29/8/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

29/8/18
अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अभिलेख अनुमोदित / नवनियुक्त प्रधान के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया तो पट्टा निर्गत करें।

29/8/18
अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

महेश पहाड़िया

(40) 10/04/10